

अध्याय-दो बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/ वैट

2.1 कर संचालन

सरकारी स्तर पर बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर कानूनों तथा उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का संचालन प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) द्वारा किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसको एक अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आठ उप आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 14 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। उनको सम्बंधित कर कानूनों तथा नियमों का संचालन करने के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों तथा अन्य सम्बंधित कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

2012-13 में मूल्य वर्धित कर/ बिक्री कर निर्धारणों तथा अन्य अभिलेखों से सम्बंधित 12 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 215 मामलों में ₹109.71 करोड़ का कर अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुई, जो कि निम्न श्रेणियों में आती हैं जैसा कि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है:

तालिका -2.1

(₹ करोड़)			
क्रमांक	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर का कम निर्धारण	106	25.33
2.	दोषपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकृति	14	55.36
3.	बिक्री/ खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	06	0.18
4.	निवेश कर क्रेडिट की अनियमित/गलत/अधिक स्वीकृति	53	11.81
5.	अन्य अनियमितताएं	36	17.03
योग		215	109.71

वर्ष के दौरान विभाग ने ₹29.20 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों के 91 मामले स्वीकार किए, जो विगत वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे। वर्ष 2012-13 के दौरान 48 मामलों में ₹13.95 करोड़ की राशि वसूल की गई।

₹33.83 करोड़ से ग्रस्त कुछ निदर्श मामलों की निम्नवत् परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3 निवेश कर क्रेडिट की अनुमति

परिचय

निवेश कर से तात्पर्य ऐसे कर से है, जिसका एक व्यापारी अपने व्यापार निवेशों की स्थानीय खरीदों अर्थात् पुनर्बिक्री हेतु खरीदें, कच्चा माल, पूंजीगत माल तथा अपने व्यापार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त किए जाने वाले निवेशों पर अदायगी करता है।

संशोधित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 11 (3) के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि एक क्रेता पंजीकृत व्यापारी द्वारा कर अवधि के दौरान की गई कर योग्य बिक्रियों पर अदा किए गए निवेश कर क्रेडिट की अनुमति का निम्नवत् के अनुसार दावा किया जा सकता है:

- i. ऐसे क्रेता व्यापारी द्वारा विक्रेता पंजीकृत व्यापारी को जो उसके द्वारा कर अवधि के दौरान बेची गई कुल वस्तुओं की बिक्री पर अदा की गई अथवा देय की निवेश कर क्रेडिट राशि, तथा
- ii. इस धारा के अनुसार परिकल्पित तथा अनुमत व निर्धारित की जाने वाली अन्य शर्तों के अनुसार।

जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य 14 आबकारी तथा कराधान अधिकारियों में से उनके अधीनस्थ कार्यरत आठ¹ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की नमूना जांच के माध्यम से 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान किए गए निर्धारणों को आवृत्त करते हुए 'निवेश कर क्रेडिट' की अनुमत राशि पर जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य एक लेखापरीक्षा की गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या निवेश कर क्रेडिट की अनुमत राशि की पद्धति संतोषप्रद है तथा क्या अधिनियम तथा नियमावलियों के प्रावधानों का विभाग के विभिन्न निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किया जा रहा है, अभिलेखों की जांच की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत है:

2.3.2 निवेश कर क्रेडिट की अधिक अनुमति

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 11 (3) के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी से क्रेता व्यापारी द्वारा राज्य में खरीदी गई कर योग्य वस्तुओं पर अदा किए गए निवेश कर की राशि की सीमा तक निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया जाएगा। मई 2007 की अधिसूचना के अनुसार, एक व्यापारी से टैक्स अवधि के दौरान उसके द्वारा विक्रय की गई वस्तुओं के खरीद मूल्य पर निवेश कर क्रेडिट राशि स्वीकार्य होगी। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा-19 में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक प्रतिशत की दर पर और उसके उपरांत चूक जारी रहने तक प्रति मास डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज की अदायगी करने हेतु दायी हो जाता है।

आठ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों², के संदर्भ में जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 2007-08 तथा 2010-11 के मध्य की अवधियों में 119 व्यापारियों की वार्षिक विवरणियों का निर्धारण करते समय निर्धारित प्राधिकारियों ने विभिन्न विधियां अपनाते हुए निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया। तथापि, कुल खरीदों के प्रति स्थानीय खरीदों के अनुपात के आधार पर उन वर्षों के दौरान जिन पर कोई निवेश कर क्रेडिट अनुमत नहीं था, राज्य में पंजीकृत व्यापारियों से की

¹ बी0बी0एन0 बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, कांगडा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन तथा ऊना

² सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी0बी0एन0 बद्दी, बिलासपुर, चम्बा, कांगडा स्थित धर्मशाला, शिमला, सिरमौर स्थित नाहन, सोलन तथा ऊना

गई खरीदों में से कर अवधियों के दौरान इन व्यापारियों के कुल अंत बकाया ₹75.50 करोड़ थे। निर्धारित प्राधिकारियों ने अंत स्टॉक पर ₹1.41 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट अनुमत करते समय उस सीमा तक निर्धारितियों की कर देयता का भी स्थगन कर दिया था, जो कि अन्यथा निर्धारण की तिथि को कर अवधियों के संदर्भ में वसूल किया जाना अपेक्षित था। इसके फलस्वरूप ₹72.30 लाख के ब्याज सहित ₹2.13 करोड़ की राशि के निवेश कर क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई।

2.3.3 प्राप्त की गई कटौतियों/ छूटों/ प्रोत्साहनों पर निवेश कर क्रेडिट की कटौती न करना

हिमालच प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 17 में बिक्री की कुल राशि में से एक पंजीकृत व्यापारी को नकद छूट के रूप में अनुमत की गई राशि की कटौती करने का प्रावधान है, बशर्ते प्रदान की गई ऐसी छूट नियमित व्यापार प्रथा के अनुसार हो। इस उपबंध के अंतर्गत कटौती की मांग तभी की जाएगी, यदि व्यक्ति के पास कर बीजक अथवा परचून बीजक की सभी प्रतियां उपलब्ध हैं। व्यापारी द्वारा प्राप्त की गई छूटों/ कटौतियों/ उत्प्रेरकों से खरीद मूल्य कम हो जाता है। अतः इसे व्यापार लेखा में दर्शाना अपेक्षित होता है तथा स्थानीय खरीदों पर प्राप्त किए गए उत्प्रेरकों से इस संदर्भ में अदा किए जाने वाले कर में कमी आ जाएगी।

जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य आठ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों के निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2005-06 से 2010-11 की अवधियों के संदर्भ में 27 व्यापारियों ने स्थानीय खरीदों पर ₹2.41 करोड़ की राशि की कटौतियां/ छूटें/ प्रोत्साहन प्राप्त किए थे जिन्हें उनके लाभ तथा हानि लेखों में दर्शाया गया था। सम्बंधित निर्धारित प्राधिकारियों को निर्धारण के दौरान इसका पता नहीं चला तथा व्यापारियों को ₹2.41 करोड़ पर आनुपातिक निवेश कर क्रेडिट अनुमत कर दिया। इसके फलस्वरूप ₹30.12 लाख का अधिक निवेश कर क्रेडिट अनुमत कर दिया। इसके अतिरिक्त ₹17.46 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

2.3.4 खरीदों की सूची के बिना निवेश कर क्रेडिट की अनुमति देना (एल0पी0-I)

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 11(2) में यह प्रावधान है कि निवेश कर क्रेडिट प्राप्त करने वाला क्रेता व्यापारी निर्धारित रीति के अनुसार कर बीजकों तथा लेख रजिस्ट्रों व बहियों का अनुरक्षण करेगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 41 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी अपनी विवरणी में फार्म वैट-XV में विवरणी में विनिर्दिष्ट फार्म एल0एस0-1 तथा एल0पी0-1 में बिक्रियों तथा खरीदों की सूचियां संलग्न करेगा।

जून 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य सभी नमूना-जांचित आठ इकाइयों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि व्यापारियों द्वारा कर वर्षों 2006-07 से 2010-11 तक के वर्षों के लिए फार्म वैट-XV प्रस्तुत कर दिया गया था, किन्तु विवरणियों के साथ खरीदों (एल0पी0-1) को संलग्न नहीं किया गया था। इन में से चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों³, के कार्यालयों में लेखापरीक्षा ने पाया कि 53 मामलों में निर्धारित प्राधिकारियों ने अपूर्ण विवरणियां अर्थात् एल0पी0-1 के बिना स्वीकार की थी तथा निर्धारणों के दौरान ₹4.01 करोड़ की राशि का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया था। क्योंकि व्यापारियों द्वारा सूचियों के बिना विवरणियां प्रस्तुत की गई थी, अतः निवेश कर का क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाना चाहिए था, जो निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा नहीं किया गया। इस प्रकार विवरण सूचियों/ खरीदी/ बेची गई वस्तुओं के नामों के बिना लेखापरीक्षा में जमा किए गए निवेश कर क्रेडिट अथवा कर

3

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त: कांगडा स्थित धर्मशाला, शिमला, सोलन तथा ऊना

के दावों की अधिप्रामाणिकता को सत्यापित करना बहुत कठिन था। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक निवेश कर क्रेडिट की अनुमत राशि की अनियमित अदायगी हुई, जिससे राजकोष को हानि हुई।

2.3.5 शराब पर निवेश कर क्रेडिट की अनियमित अनुमति

मूल्य वर्धित कर एक बहुचरणी कराधान है, जिसमें किसी इकाई द्वारा विनिर्मित वस्तुएं कई चरणों के माध्यम से होकर उपभोक्ताओं तक पहुंचती हैं। तथा पूर्ववर्ती चरणों में अदा किए गए कर को प्रतिस्तुलित करने के उपरांत इन वस्तुओं पर कर लगया जाता है। *पेट्रोलियम उत्पादों, डीजल तथा शराब* जैसी वस्तुओं को मूल्य वर्धित कर के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 6(1) में इन वस्तुओं की प्रथम बार बिक्री करने पर कर के उद्ग्रहण का भी प्रावधान है, जैसाकि अनुसूची 'घ' के दूसरे स्तंभ में उल्लिखित है।

तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों⁴, के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) से प्रकट हुआ कि 2005-06 से 2009-10 तक की अवधियों के चार मामलों में निर्धारिती प्राधिकारियों ने शराब निर्मित करने वाली इकाइयों को ₹44.85 लाख का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया था। यह तथ्य कि शराब प्रथम चरण में कर योग्य थी और इसे निवेश कर क्रेडिट के क्षेत्र से बाहर रखा गया था ध्यान में नहीं आया। इस प्रकार शराब के विनिर्माण पर निवेश कर क्रेडिट की अनियमित अनुमति के फलस्वरूप ₹47.73 लाख के ब्याज सहित ₹92.58 लाख के राजस्व का अवनिर्धारण हुआ।

2.3.6 कर बीजकों के बिना निवेश कर क्रेडिट अनुमत करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 20 तथा 25 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 11(7)(के) में यह प्रावधान है कि पंजीकृत व्यापारी के पास कर बीजक उपलब्ध न हो तो वहां निवेश कर क्रेडिट अनुमत नहीं किया जाएगा। यदि मूल कर बीजक खो जाए, नष्ट हो जाए अथवा विकृत हो जाए तो पंजीकृत व्यापारी, विक्रेता पंजीकृत व्यापारी द्वारा उसे जारी किए गए कर बीजक की प्रति सहित उपयुक्त निर्धारिती प्राधिकारी को एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे बीजक के अंतर्गत मांगी गई निवेश कर क्रेडिट की राशि के समतुल्य फार्म-VII में एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करेगा। निर्धारिती प्राधिकारी लेनदेन की प्रति-जांच करेगा तथा लेनदेन की वास्तविकता के संदर्भ में संतुष्ट हो जाने पर इस संदर्भ में आदेश जारी करके दावा अनुमत करेगा।

सितम्बर तथा अक्टूबर 2012 के मध्य सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी0बी0एन0-बद्दी के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि एक मामले में निर्धारिती प्राधिकारी ने मूल कर बीजकों के बिना 2006-07 से 2007-08 की अवधियों का ₹1.69 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया (जुलाई 2011)। मूल कर बीजक आग में जल गए बताए गए (जून 2009), जैसाकि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए हलफनामा में कहा गया था। निर्धारिती प्राधिकारी ने पूर्वोक्त नियमावली में निर्धारित उचित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था तथा पारिस्थितिक साक्ष्य देने में भी विफल रहा। निर्धारिती प्राधिकारी ने निर्धारण के दौरान मूल बीजक जो दो वर्ष पूर्व जल गए थे के सत्यापन के संदर्भ में परस्पर विरोधी अभ्युक्तियां प्रस्तुत की थी तथा फार्म- VII में प्राप्त किए बिना निवेश कर क्रेडिट अनुमत कर दिया। इस प्रकार निर्धारण न केवल संदिग्ध हुआ, बल्कि इसके फलस्वरूप ₹1.50 करोड़ के ब्याज सहित ₹3.19 करोड़ का निवेश कर क्रेडिट भी अनियमित रूप से अनुमत कर दिया।

⁴ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी0बी0एन0-बद्दी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला तथा सिरमौर स्थित नाहन

2.3.7 कर मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण/ बिक्री पर निवेश कर क्रेडिट अनुमत करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 11(7) में प्रावधान है कि क्रेता व्यापारी द्वारा किसी निवेश कर क्रेडिट की मांग नहीं की जाएगी तथा उसे इन कर-मुक्त घोषित वस्तुओं के विनिर्माण अथवा प्रक्रिया अथवा पैकिंग में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं पर संगृहीत किए गए कर के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा।

जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों⁵ के अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निर्धारित प्राधिकारियों ने ₹4.67 करोड़ की कर-मुक्त बिक्री सहित ₹27.08 करोड़ की सकल बिक्री पर पांच व्यापारियों के मामलों का निर्धारण किया था तथा 2005-06 तथा 2010-11 के मध्य सभी खरीदों पर ₹52.08 लाख का निवेश कर क्रेडिट अनुमत किया था। तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि कर-मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त की गई वस्तुओं पर क्रेडिटों की कटौती करने के उपरांत अनुमत ₹45.94 लाख के प्रति ₹52.08 लाख की अनुमत राशि के फलस्वरूप ₹5.28 लाख के ब्याज के अतिरिक्त ₹6.14 लाख का अधिक निवेश कर क्रेडिट हुआ।

2.3.8 निवेश कर क्रेडिट के संदर्भ में डाटा बेस का अनुरक्षण न करना

विभाग के पास निवेश कर क्रेडिट की एक विश्वसनीय डाटा बेस का होना न केवल आवश्यक है, बल्कि निर्धारणों तथा अन्य संवीक्षाओं आदि के दौरान वर्षानुवर्ष इसके नियमन पर अच्छे निर्णय लेने तथा प्रभावी नियंत्रण के लिए भी यह महत्वपूर्ण है।

आबकारी तथा कराधान आयुक्त स्तर अथवा जिला स्तरों पर अनुरक्षित निवेश कर क्रेडिट के संदर्भ में कोई डाटा बेस नहीं था। डाटा बेस के अभाव में मूल्य वर्धित कर के प्रारम्भ होने से प्रयुक्त किये गए निवेश कर क्रेडिटों/ व्यापारियों को अनुमत किए गए निवेश कर क्रेडिटों की जांच करना असम्भव था। एक कार्यकुशल तथा पारदर्शी कर प्रशासन प्रणाली का सृजन करने के लिए विभाग को निवेश कर क्रेडिट की धोखाधड़ी/ मिथ्या दावों की जांच करने हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित करना चाहिए।

उपर्युक्त तथ्य जुलाई 2012 तथा मई 2013 के मध्य सरकार तथा विभाग को प्रेषित किए गए; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

निष्कर्ष

राज्य के हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रशासन में निवेश कर क्रेडिट की अनुमति एक महत्वपूर्ण संघटक है। निवेश कर क्रेडिट की गणना करने के लिए एक स्पष्ट तथा असंदिग्ध सूत्र के अभाव में निर्धारित प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न पद्धतियां अपना कर क्रेडिट अनुमत किए जा रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप निवेश कर क्रेडिट की अधिक राशि की अनुमति दी गई तथा राजस्व की हानि हुई। निवेश कर क्रेडिट अनुमत करते समय भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने से राजस्व का रिसन हुआ जिसका पता नहीं चल पाया।

⁵ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त कांगडा स्थित धर्मशाला तथा सिरमौर स्थित नाहन, सोलन तथा ऊना

2.4 सामग्री की लागत की गलत कटौती

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की उपधारा 2(V) के अनुसार बिक्री में निर्माण कार्यों की संविदाओं के निष्पादन में अंतर्ग्रस्त वस्तुओं में सम्पत्ति का स्थानान्तरण समाविष्ट है। दिसम्बर 2008 के आबकारी तथा कराधान आयुक्त के अनुदेशों के अनुसार यदि संविदादाता द्वारा सामग्री की पूर्ति आंशिक अथवा पूर्ण रूप से की जाती है तथा उसके मूल्य का संविदाकारों की अदायगी के प्रति प्रतिसंतुलन किया जाता है तो कर के निर्धारणार्थ इस प्रकार आपूर्ति की गई सामग्री के मूल्य की सकल बिक्री से कटौती नहीं की जाएगी जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दो मामलों⁶ में ठीक भी ठहराया गया है। इसके अतिरिक्त यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि के लिए देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा इसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज की अदायगी करने का दायी होगा।

जुलाई 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों⁷ के निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारित प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2010-11 वर्षों के 15 संविदाकारों के निर्धारणों को जुलाई 2009 तथा सितम्बर 2012 के मध्य अंतिम रूप दिया। निर्धारित प्राधिकारियों ने विभागीय निर्माण कार्यों के निष्पादन कार्यों के लिए विभागों द्वारा उन्हें संभारित की गई सामग्री के सम्बंध में सकल बिक्री से ₹28.53 करोड़ की राशि की कटौती अनुमत की। इस प्रकार अनुमत की गई कटौती अनियमित थी क्योंकि विभागों द्वारा संविदाकारों को संभारित की गई सामग्री बिक्री मानी जाती है। इसके फलस्वरूप ₹1.41 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ, जिस पर ₹83.54 लाख का ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (अक्तूबर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2013) कि पांच मामलों का पुनर्निर्धारण किया गया था तथा ₹64.65 लाख की अतिरिक्त मांग का सर्जन किया गया, जिसमें से ₹13,100 की वसूली की जा चुकी थी तथा बकाया मामले प्रक्रियाधीन थे। सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों को तुरंत बकाया राशि वसूल करने के भी निर्देश दिए गए थे। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

2.5 कर की गलत दरें लागू करना

2.5.1 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार धारा 6 के अंतर्गत अनुसूची-क के अनुसार एक व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों पर कर उद्ग्राह्य है। अनुसूची-क में यह भी प्रावधान है कि उसमें उल्लिखित वस्तुओं के संदर्भ में बिक्री की प्रत्येक अवस्था पर निर्धारित दरों पर कर उद्ग्रहण किया जाएगा। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 में यह भी प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास तक देय कर पर एक प्रतिशत की दर से तथा इसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत प्रतिमास की दर पर कर की अदायगी करने का दायी होगा।

लेखापरीक्षा ने सितम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों⁸ के कार्यालयों में पाया कि 10 व्यापारियों ने ₹16.69 करोड़ के मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्रियां की थी जिस

⁶ एन0एम0 गोयल तथा कम्पनी बनाम बिक्री कर अधिकारी राजनदगांव तथा अन्य (1988) 72 एस0टी0सी0368 तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1998) 109 एस0टी0सी0 एस0सी0 425

⁷ कांगडा: दो संविदाकार, शिमला: 12 संविदाकार तथा सोलन: एक संविदाकार

⁸ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़, बद्दी: सात व्यापारी: ₹1.96 करोड़ तथा नाहन: तीन व्यापारी: ₹52.11 लाख

पर 12.50 प्रतिशत की दर पर कर देय था। निर्धारिती प्राधिकारियों ने अगस्त 2010 तथा फरवरी 2012 के मध्य व्यापारियों के 2005-06 तथा 2010-11 वर्षों के निर्धारणों को अंतिम रूप दिया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारिती प्राधिकारियों ने 12.50 प्रतिशत की सही दर की बजाए चार अथवा पांच प्रतिशत की दर पर ₹16.69 करोड़ की बिक्री का निर्धारण किया। इन चूकों के परिणामस्वरूप ₹1.08 करोड़ के ब्याज सहित ₹2.48 करोड़ के कम कर को अंतिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2012 तथा अप्रैल 2013 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) की दो व्यापारियों के मामले में ₹20.17 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया था जिसमें से ₹7.65 लाख की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष मामले या तो प्रक्रियाधीन थे अथवा अपीलाधीन थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

2.5.2 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 के अस्थायी प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार विनिर्माता जो हिमाचल प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत आंशिक छूट प्राप्त कर रहा था, वह पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत समाप्त न हुई अवधि के लिए भी आंशिक छूट प्राप्त करना जारी रखेगा। प्रोत्साहन अवधि की समाप्ति के उपरांत अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत कर का उद्ग्रहण जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त धारा 19 के अंतर्गत देय कर पर निर्धारित दरों पर चूक जारी रहने तक ब्याज की अदायगी भी उद्ग्रहण है।

लेखापरीक्षा ने जुलाई 2012 तथा सितम्बर 2012 के मध्य दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों⁹ के कार्यालयों में पाया कि चार व्यापारियों ने 3.125 तथा चार प्रतिशत पर कर योग्य ₹9.66 करोड़ की राशि की अंतर्राज्यीय बिक्री की थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारिती प्राधिकारियों ने 2005-06 से 2008-09 वर्षों से सम्बंधित उपरोक्त व्यापारियों के निर्धारणों को अप्रैल 2011 तथा अक्टूबर 2012 में अंतिम रूप दिया। निर्धारिती प्राधिकारियों ने व्यापारियों के निर्धारणों पर लागू 3.125 तथा चार प्रतिशत की बजाय एक प्रतिशत की दर पर बिक्री का गलत निर्धारण किया था, यद्यपि पात्रता की समाप्ति के बाद भी रियायती दर लागू की गई थी। इन चूकों के फलस्वरूप ₹22.37 लाख के ब्याज सहित ₹43.29 लाख के कर की अल्प वसूली हुई।

2.5.3 इसी प्रकार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी0बी0एन0 बद्दी के एक अन्य मामले में निर्धारिती प्राधिकारी ने 'सी' फार्मों पर ₹44.28 करोड़ की निर्धारित राशि के बजाय ₹44.63 करोड़ की कर योग्य कुल बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायती दर प्रभावि की थी। इस प्रकार ₹34.79 लाख की कुल बिक्री एक प्रतिशत की बजाय कर की सामान्य दर पर कर लगने से बच गई थी। कर की गलत दरें प्राचारित करने के फलस्वरूप ₹3.99 लाख के ब्याज सहित ₹8.34 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा ने अगस्त 2012 तथा अक्टूबर 2012 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार के ध्यान में लाया। विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि दो मामलों में ₹2.85 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया था, जिसमें से ₹0.23 लाख की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष मामले प्रक्रियाधीन थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

2.6 ब्याज तथा शास्ति का उद्ग्रहण न करना/ कम करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अंतर्गत यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह एक मास की अवधि तक देय कर पर एक

⁹ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बिलासपुर: एक व्यापारी: ₹1.99 लाख तथा सोलन: तीन व्यापारी: ₹41.54 लाख

प्रतिशत की दर पर तथा उसके बाद चूक जारी रहने तक डेढ़ प्रतिशत की दर पर ब्याज की अदायगी करने का दायी हो जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत कर की अदत्त राशि पर निर्धारित दरों पर ब्याज भी उद्ग्रहण है।

सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों कांगड़ा तथा नाहन के निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य पाया कि अप्रैल 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य सात व्यापारियों के 2005-06 से 2010-11 वर्षों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय निर्धारिती प्राधिकारियों ने ₹10.01 लाख की अतिरिक्त मांगों का सृजन किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन मामलों में निर्धारिती प्राधिकारियों ने निर्धारण की तिथि तक सृजित अतिरिक्त मांग पर ₹4.18 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया था। इसके अतिरिक्त सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त नाहन ने ₹10.44 लाख की राशि के कर का निर्धारण किया तथा मार्च 2012 तक प्रभार्य ₹11.06 लाख के प्रभार्य ब्याज की बजाय ₹9.71 लाख के ब्याज का उद्ग्रहण किया। इसके फलस्वरूप ₹1.35 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। चूकों के फलस्वरूप ₹5.54 लाख की राशि के ब्याज की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (मार्च तथा अप्रैल 2013 के मध्य) आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2013) कि मामलों का पुनर्निर्धारण किया गया था तथा ₹13,067 की अतिरिक्त मांग का सर्जन तथा इसकी वसूली की गई थी। सम्बंधित सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों को शेष मामलों का निपटारा करने तथा राशि वसूल करने के निदेश भी दिए गए थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

2.6.2 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16 (8) के अंतर्गत यदि कोई व्यापारी अपनी बिक्री, खरीदों अथवा माल के स्टॉक को छिपाने के उद्देश्य से मिथ्या अथवा गलत लेखों का अनुरक्षण करता है तो धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयुक्त अथवा उसे सहयोग प्रदान करने हेतु कोई अन्य व्यक्ति उस व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद कर के अतिरिक्त निर्धारण किए गए कर अथवा निर्धारण के लिए देय कर की दोगुणा राशि के समतुल्य शास्ति की अदायगी करने का निदेश दे सकता है।

दिसम्बर 2012 तथा फरवरी 2013 के मध्य सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, कांगड़ा के निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से इंगित हुआ कि एक व्यापारी ने ₹51.66 लाख की खरीदों को छिपाया था तथा निर्धारिती प्राधिकारी ने 2010-11 के मामले का पुनर्निर्धारण करते समय (अक्टूबर 2011) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ₹2.84 लाख की अतिरिक्त मांग उठाई थी तथा ₹5.68 लाख की बजाय ₹42,621 की शास्ति का उद्ग्रहण किया था। इसके फलस्वरूप ₹5.26 लाख की शास्ति का कम उद्ग्रहण हुआ तथा उस सीमा तक राजस्व परित्यक्त किया गया।

विभाग तथा सरकार को लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 में मामला प्रेषित किया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

2.7 कर की रियायती दर की गलत अनुमति

आबकारी तथा कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक जुलाई 1999 तथा जून 2009 की अधिसूचनाओं के द्वारा उन व्यापारियों को जो हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां चला रहे थे तथा वे इकाइयां हिमाचल प्रदेश सरकार के आबकारी तथा कराधान विभाग के पास पंजीकृत थी को अंतर्राज्यीय बिक्री/व्यापार के लिए विनिर्मित वस्तुओं की कर योग्य बिक्री पर एक प्रतिशत पर केन्द्रीय बिक्री कर की रियायती दर अनुमत थी। रियायती दर प्राप्त करने के लिए अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह भी थी कि

औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में स्थित इकाई में कुल जन शक्ति का 80 प्रतिशत हिमाचल के मूल निवासियों में से नियोजित किया जाना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने दो सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों¹⁰ के कार्यालयों के निर्धारण अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 2005-06 से 2009-10 के वर्षों के लिए कुल बिक्री विभिन्न विनिर्माण इन इकाइयों के निर्धारणों को जुलाई 2010 तथा दिसम्बर 2012 के मध्य अंतिम रूप देने समय निर्धारित प्राधिकारियों ने इकाइयों का ₹279.40 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर एक प्रतिशत की रियायती दर लागू की थी। तथापि, इन इकाइयों ने औद्योगिक रूप से पिछड़े इलाकों में स्थित अपनी औद्योगिक इकाइयों में अनिवार्य रूप से 80 प्रतिशत मूल हिमाचली नियोजित करने के प्रति 70 और 78.6 प्रतिशत के मध्य मूल हिमाचली नियोजित किए थे। इस प्रकार पूर्वोक्त शर्त को पूरी किए बिना इन इकाइयों को 2 से 4 प्रतिशत की लागू होने वाली दरों की बजाय एक प्रतिशत की रियायती दर देना अनियमित था। इसके फलस्वरूप ₹5.53 करोड़ के ब्याज सहित ₹11.50 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग तथा सरकार को अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) की सभी मामले प्रक्रियाधीन थे। सरकार का आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

2.8 माल के प्रवेश करने पर कर का अनुद्ग्रहण

स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश होने पर हिमाचल प्रदेश कर अधिनियम, 2010 की धारा-3 में जल-विद्युत परियोजनाओं की निर्माण संविदाओं अर्थात् निजी निकायों, आदि के द्वारा निष्पादित उत्पादन, पारेषण तथा वितरण के लिए किसी व्यापारी के व्यवसाय में प्रयुक्त होने वाले सीमेंट तथा अन्य वस्तुओं जो अधिनियम की अनुसूची -II में उल्लिखित राज्य के बाहर के स्थानों से हिमाचल प्रदेश के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं, की लागत के पांच प्रतिशत की दर पर कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा ने रिकांग-पीओ स्थित आबकारी तथा कराधान अधिकारी किन्नौर के कार्यालय से सम्बंधित निर्धारण अभिलेखों से पाया कि निर्धारित प्राधिकारी ने जून तथा अक्टूबर 2012 के मध्य एक व्यापारी के 2010-11 तथा 2011-12 वर्षों के निर्धारणों को अंतिम रूप दिया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारित विद्युत का उत्पादन करने के लिए 1000 एम0डब्ल्यू0 करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना का निष्पादन करने के लिए मध्य प्रदेश से 'एफ' फार्मों पर हिमाचल प्रदेश में ₹25.73 करोड़ मूल्य की भारी मशीनरी लाया था। तथापि, विभाग ने इन वस्तुओं के मूल्य पर उद्ग्राह्य 5 प्रतिशत की दर पर ₹1.29 करोड़ के प्रवेश कर का उद्ग्रहण नहीं किया था। इसके फलस्वरूप उस सीमा तक देय कर पर उद्ग्राह्य ब्याज के अतिरिक्त कर की वसूली नहीं हो पाई।

लेखापरीक्षा के इंगित करने पर आबकारी तथा कराधान अधिकारी (मार्च 2013) ने बताया कि मामले की जांच करने के बाद अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

विभाग/ सरकार को मामला अप्रैल 2013 में प्रेषित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

¹⁰ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त: कांगडा स्थित धर्मशाला तथा ऊना

2.9 अवैध, डुप्लीकेट तथा दोषपूर्ण 'सी' फार्म स्वीकार करने के कारण कर का अपवंचन

क्रेता व्यापारी द्वारा 'सी' फार्म को दो प्रतियों में जारी किया जाता है। 'मूल' चिन्हित प्रति को विक्रेता व्यापारी द्वारा अपनी विवरणी के साथ संलग्न किया जाता है तथा 'डुप्लीकेट' चिन्हित प्रति को क्रेता व्यापारी द्वारा अपने अभिलेखों में रखा जाता है। इसे न्यायिक रूप से भी सही ठहराया गया है¹¹ कि कर की अदायगी का अपवंचन करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी तथा सांठ-गांठ करने के लिए फार्म का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए कर की रियायती दर की मांग करने के लिए फार्म 'सी' की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों¹² के अभिलेखों की नमूना जांच (जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) से उद्घाटित हुआ कि 2006-07 से 2009-10 वर्षों के निर्धारण वर्षों के लिए अगस्त 2010 तथा जुलाई 2012 के मध्य 15 व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय लेनदेनों के समर्थन में प्रस्तुत उद्घोषणा फार्मों, जो या तो डुप्लीकेट/अपूर्ण थे अथवा **परिशिष्ट-II** में उल्लिखित 'सी'-फार्मों की दोषपूर्ण प्रतियां थी, की जांच किए बिना निर्धारिती प्राधिकारियों ने ₹10.19 करोड़ के मूल्य की अंतर्राज्यीय बिक्रियों पर अनियमित रूप से कर की रियायती दर अनुमत की। नियमानुसार सम्बंधित निर्धारिती प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण के समय इन फार्मों को अस्वीकृत करना चाहिए था। इसके फलस्वरूप ₹31.55 लाख के ब्याज सहित ₹78.56 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य) विभाग ने बताया (सितम्बर 2013) कि छः मामलों में पुनर्निर्धारण पूर्ण किया जा चुका था तथा ₹3.19 लाख की सकल अतिरिक्त मांगों का सृजन किया गया/वसूली की गई (मई तथा अगस्त 2013) तथा जबकि नौ मामले प्रक्रियाधीन थे। क्योंकि पुनर्निर्धारण के छः मामलों में निर्धारण आदेश अथवा आवश्यक प्रलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए, अतः किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका। सरकार का आगामी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

2.10 कर का उद्ग्रहण/ मांग न करना

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 69 तथा 70 के साथ पठित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 21 के अनुसार कर के निर्धारण तथा शास्ति आदि अधिरोपित करने के बाद व्यापारी को नोटिस की सर्विस की तिथि से पन्द्रह दिन से कम दिन से नहीं तथा तीस दिन से अधिक नहीं, से तिथि का उल्लेख करते हुए, व्यापारी को नोटिस जारी किया जाएगा तथा व्यापारी को ऐसी अदायगी के लिए प्रमाण के रूप में निर्धारिती प्राधिकारी को उसमें उल्लिखित समय के भीतर दिनांकित चालान प्रस्तुत करने होंगे। यदि व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो चूक जारी रहने तक उपरोक्त अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत देय कर पर निर्धारित दरों पर ब्याज भी उद्ग्रहण है।

लेखापरीक्षा ने निर्धारण अभिलेखों से सितम्बर तथा अक्टूबर 2012 के मध्य पाया कि सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त, बी०बी०एन०-बद्दी ने एक व्यापारी के वर्ष 2009-10 के निर्धारणों को अंतिम रूप दे दिया था (जुलाई 2011) तथा ₹24.67 करोड़ की राशि की बिना बुनी हुई फैब्रिक (पोलीप्रोपीलीन)

¹¹ आयुक्त बिक्री कर बनाम मैसर्स प्रभुदयाल प्रेम नारायण (1988)71 एस०टी०सी० (एस०सी०) तथा दिल्ली ओटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम आयुक्त, बिक्री कर (1997)104 एस०टी०सी० 75 (एस०सी०)

¹² सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी०बी०एन०-बद्दी (11 व्यापारी: ₹46.61 लाख), नाहन स्थित सिरमौर (एक व्यापारी: ₹3.93 लाख), सोलन (दो व्यापारी: ₹26.77 लाख) तथा ऊना (एक व्यापारी: ₹1.25 लाख)

की बिक्री को कर-मुक्त माना गया, जबकि ₹1.46 करोड़ का कर 4 प्रतिशत के कर की न्यूनतम दर पर प्रभार्य था। इसके फलस्वरूप ₹46.88 लाख के ब्याज सहित ₹1.46 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रेषित किया। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

2.11 बिक्री का गलत निर्धारण

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 (v) (जैड0डी0) के अनुसार 'बिक्री' से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों क्रयों तथा बिक्रियों व क्रयों के अंशों की सकल राशि तथा भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है। धारा-6 की अनुसूची-क के अनुसार अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के संदर्भ में बिक्री की प्रत्येक अवस्था पर निर्धारित दरों पर कर का उद्ग्रहण किया जाएगा। इस के अतिरिक्त धारा 19 में प्रावधान है कि यदि एक व्यापारी निर्धारित तिथि तक कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो वह चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर कर की अदायगी करने का दायी होगा।

तीन सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों¹³ के निर्धारण अभिलेखों से लेखापरीक्षा के ध्यान में आया कि निर्धारित प्राधिकारियों ने 2006-07 से 2009-10 के वर्षों के लिए पांच व्यापारियों के निर्धारणों को फरवरी तथा दिसम्बर 2011 के मध्य अंतिम रूप दिया था तथा ₹89.27 करोड़ की सकल बिक्री के प्रति ₹71.10 करोड़ की सकल बिक्री का निर्धारण किया था। आगे लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि निर्धारित प्राधिकारी ने निर्धारितियों द्वारा कम निर्धारित की गई सकल प्राप्तियों/ निर्धारित की गई बिक्रियों अथवा प्रामाणित प्राप्तियों की तुलना में निम्न निर्धारणों का संज्ञान नहीं लिया। इस प्रकार ₹18.18 करोड़ सकल बिक्री के अल्प निर्धारण के फलस्वरूप ₹58.94 लाख के ब्याज सहित ₹1.44 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (जुलाई तथा मार्च 2013 के मध्य) आबकारी तथा कराधान आयुक्त ने बताया (नवम्बर 2013) कि एक मामले में पुनर्निर्धारण के उपरांत ₹15.29 लाख की अतिरिक्त मांग का सृजन किया गया था। शेष मामले प्रक्रियाधीन थे तथा सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों को भी राशि की तत्काल वसूली करने के निदेश दिए गए थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (नवम्बर 2013)।

2.12 घोषणा फार्मों 'एफ' का दुरुपयोग करने के कारण कर की गलत छूट

केन्द्रीय बिक्री कर (पंजीकरण तथा बिक्री) नियमावली के नियम 12(5) के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 6-क के अनुसार एक पंजीकृत व्यापारी को शाखा स्थानान्तरण/प्रेषित माल की बिक्री के मामले में कर की छूट प्रदान की जाती है, बशर्ते इनके समर्थन में घोषणा फार्म 'एफ' संलग्न हो। प्रत्येक व्यापारी जो अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान क्रेता व्यापारी के पंजीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट श्रेणियों की वस्तुएं किसी पंजीकृत व्यापारी को बेचता है, तो वह 10 प्रतिशत की दर पर अथवा सामान्य बिक्री कर अधिनियम के अंतर्गत राज्य में लागू दर पर, जो भी मार्च 2007 तक अधिक हो तथा केन्द्रीय बिक्री कर पंजीकरण तथा बिक्री के नियम 12 के साथ पठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम

¹³ सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्त बी0बी0एन0-बददी (एक व्यापारी: ₹98.10 लाख), चम्बा (दो व्यापारी: ₹0.12 करोड़), तथा सोलन (दो व्यापारी: ₹0.35 करोड़)

की धारा 8 के अंतर्गत एक अप्रैल 2007 से राज्य में लागू दर पर कर की अदायगी करने का दायी होगा। इसके अतिरिक्त कर की अदत्त राशि पर चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर ब्याज भी उद्ग्राह्य है।

जुलाई 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य चार सहायक आबकारी तथा कराधान आयुक्तों¹⁴ के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2005-06 से 2009-10 के निर्धारण वर्षों के दौरान मई 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य आठ व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय 'एफ' फार्मों के प्रति जो या तो डुप्लीकेट, अपूर्ण, एक कैलेंडर मास/वर्ष से अधिक के लेनदेनों को आवृत्त करने वाले अथवा अन्य शाखाओं, जो पंजीकरण प्रमाण पत्रों में उल्लिखित नहीं थी, को संबोधित थे, के प्रति निर्धारिती प्राधिकारियों ने ₹10.27 करोड़ की राशि के स्टॉक के अंतरण पर गलत छूट अनुमत की थी। निर्धारण के समय ऐसे फार्मों को अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था, किन्तु सम्बंधित निर्धारिती प्राधिकारियों ने उनकी समुचित रूप से छानबीन नहीं की और छूट प्रदान कर दी। इसके फलस्वरूप ₹0.52 करोड़ के ब्याज सहित ₹1.16 करोड़ के कर का उद्ग्रहण नहीं हुआ, जैसाकि **परिशिष्ट-III** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2012 तथा मार्च 2013 के मध्य मामला विभाग तथा सरकार को प्रेषित किया गया। उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (नवम्बर 2013)।

¹⁴ बी0बी0एन0-बद्दी, कांगडा, सोलन तथा ऊना